राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 672/2008/आबकारी/सवाईमाधोपुर.

उमीत सिंह पुत्र श्री चरणजीत सिंह सरदार,
निवासी 638 हिरणमगरी सेक्टर 11, उदयपुर. ......अपीलार्थी.

बनाम

1. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, कोटा.
2. जिला आबकारी अधिकारी, सवाई माधोपुर. ....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल.जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री सुनील पारीक, अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05/09/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर के प्रकरण संख्या प0 29(बी)पीएस/वाहन/2007/64 में पारित किये गये आदेश दिनांक 24.03.2008 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 9(ए) के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी वाहन स्वामी के वाहन संख्या आर.जे.33/1जी–0233 का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में प्रयुक्त होना मानते हुए थानाधिकारी कोतवाली जिला सवाईमाधोपुर द्वारा अभियोग संख्या 292/2007 दिनांक 13.07.2007 दर्ज किया जाकर वाहन को अधिहरित किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त अधिहरण से मुक्ति के लिये आबकारी आयुक्त, उदयपुर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। इस पर आबकारी आयुक्त द्वारा वाहन के अधिहरण से मुक्ति की एवज में रूपये 1,75,000/– की जुर्माना राशि का आरोपण किया गया। आबकारी आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया कि अवैध शराब के परिवहन के आरोप में थानाधिकारी कोतवाली जिला सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज अभियोग में वाहन चालक को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया, जिसके तहत दर्ज प्रकरण में माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर द्वारा निर्णय दिनांक 21.12.2016 पारित करते हुए वाहन को दोषमुक्त किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध विभागीय स्तर पर कोई अपील/रिविजन प्रस्तावित नहीं होने के आधार पर आबकारी आयुक्त द्वारा

लगातार................2

अपीलार्थी की जमा राशि लौटाये जाने सम्बन्धी आदेश दिनांक 12.05.2017 पारित किया जा चुका है। अतः प्रस्तुत अपील निष्प्रभावी (infructuous) हो जाने से तद्नुसार निस्तारित की जावे।

4. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के कथन से सहमति व्यक्त करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में थानाधिकारी कोतवाली जिला सवाईमाधोपुर द्वारा दर्ज अभियोग में आबकारी आयुक्त द्वारा वाहन के अधिहरण से मुक्ति की एवज में जमा करवाई गई राशि लौटाये जाने के आदेश दिनांक 12.05.2017 पारित किये जा चुके हैं, जिसकी प्रति पत्रावली में संलग्न है। ऐसी स्थिति में उक्त राशि लौटाये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी यह अपील निष्प्रभावी हो जाती है।

6. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील निष्प्रभावी (infructuous) हो जाने से खारिज की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य